

**कार्यालय जनपद न्यायाधीश, जनपद न्यायालय कानपुर नगर।**

**विज्ञप्ति सार्वजनिक सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस जनपद न्यायालय में सफाई व्यवस्था हेतु संविदा के आधार पर 11 सफाईकर्मी नियुक्त किया जाना है, जिनकी आयु 18-40 वर्ष के मध्य होनी चाहिये तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से जूनियर हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की हो। सफाईकर्मी का मासिक मानदेय 8,840/- निर्धारित है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य भत्ता देय नहीं होगा, संविदा पर रखे जाने के कारण संतोषपूर्ण कार्य न होने पर उन्हें कभी भी बिना किसी सूचना के हटाया जा सकता है तथा अनुपस्थित होने पर मानदेय काटा जा सकता है। जो व्यक्ति इस कार्य को करना चाहते हो वे निर्धारित प्रारूप पर अपना आवेदन केन्द्रीय नजारत में केन्द्रीय नाजिर के पास दिनांक 15.05.2026 को सायंकाल 4:00 बजे तक जमा कर सकते हैं। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि आवेदन पत्र देने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला पंजीकृत न हुआ हो और न ही विचाराधीन हो। अधिक जानकारी इस जनपद न्यायालय की अधिकारिक वेबसाइट [kanpurnagar.dcourts.gov.in](http://kanpurnagar.dcourts.gov.in) पर प्राप्त की जा सकती है।

/

(सपना त्रिपाठी- I)

प्रथम अपर जिला जज /

अध्यक्ष

संविदा/आउटसोर्सिंग समिति,

कानपुर नगर।

इस विज्ञप्ति की सार्वजनिक सूचना की एक-एक प्रति समस्त सार्वजनिक स्थानों तथा कार्यालय जिलाधिकारी एवं इस जनपद न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाये तथा प्रकाशन हेतु एक प्रति निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, लखनऊ प्रेषित की जाये।

इस सूचना को जनपद न्यायालय, कानपुर नगर व माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सिस्टम आफिसर, जनपद न्यायालय, कानपुर नगर को अवगत कराया जाये।

/

(सपना त्रिपाठी- I)

प्रथम अपर जिला जज /

अध्यक्ष

संविदा/आउटसोर्सिंग समिति,

कानपुर नगर।

संविदा सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में नियम व शर्तें निम्नवत हैं:-

1. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से जूनियर हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
2. उम्र 18-40 वर्ष के मध्य होनी चाहिये।
3. वेतनमान-8840/- प्रतिमाह।
4. आवेदक के विरुद्ध कोई भी आपराधिक मुकदमा न्यायालय में लम्बित एवं पंजीकृत नहीं होना चाहिये।
5. यदि आवेदक द्वारा दिये गये प्रारूप के अनुसार समस्त विवरण उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आवेदन स्वतः ही निरस्त माना जायेगा तथा अपूर्ण आवेदन पर कोई भी विचार नहीं किया जायेगा।
6. आवेदक का चयन साक्षात्कार के आधार पर किया जायेगा।
7. चयनित आवेदक के कार्य में यदि कोई शिथिलता पायी जाती है तो उसकी संविदा तत्काल प्रभाव से निरस्त कर उसे पदच्युत कर दिया जायेगा।
8. आवेदक द्वारा आवेदन करते समय मूल प्रपत्रों की छायाप्रति संलग्न की जायेगी तथा साक्षात्कार के समय मूल प्रपत्र प्रस्तुत किये जायेंगे। ( जूनियर हाई स्कूल अंकतालिका, आधार कार्ड)